for the introduction of cellular phones.

(b) There has been an increasing demand for cellular phones in metropolitan cities, especially from the business community. The Department proposes to provide, in consultation with Ministry of Finance, this facility on first-come first-served basis to the registrants at a high premium in Foreign Exchange in such a manner that the premium not only finances the cost of the equipments but also generates surplus revenue which could be utilised for provision of public telephones in resettlement colonies, Jhuggi-Jhopri clusters, low income group housing societies, etc.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Communal Riots

276. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of Communal riots that took place in the country in the years 1989-90 and 1990-91 along with the names of the places of riots; the main reasons for the riots and the number of people killed/injured in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): On the basis of available information, a statement is annexed, *(See* Appendix CLIX, Annexure No. 11).

भारतीय जलपोतों की विदेशों में मरम्मत

277. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जलपोतों की मरम्मत करने की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद ये जलपोत मरम्मत आदि के लिए विदेशों में ले जाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन जलपोतों की मरम्मत पर प्रति वर्ष किये जा रहे खर्च की राशि का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है और क्या सरकार विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए विद्यमान स्थानों पर जहां इन जलपोतों की मरम्मत की जा सकती है, पर्याप्त सुविधाएं व आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जहाजों की मरम्मत के लिए विदेश जाने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी जाती है :-

(i) भारतीय बेड़े की जहाज-मरम्मत संबंधी संपूर्ण जरूरतें पूरा करने के लिए देश में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ii) जो जहाज विदेश व्यापार में लगे हैं और भारतीय तट का स्पर्श नहीं करते उन जहाजों को विदेशी शिपयार्डों में मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है;

(iii) भारतीय मरम्मत यार्डों में जिन जहाजों की मरम्मत की जा सकती है, उनके आकार की अधिकतम सीमा 250 मी० लंबाई में और 40 मी० चौड़ाई में है और इस आकार से अधिक के किसी भी जहाज की मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है; और

(iv) जो जहाज विदेशी ट्रिपों पर होते हैं और जिनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत होती है, उन्हें विदेशी

शिपयार्डों में मरम्मत कराने की अनुमति दी जाती है।

नौवहन महानिदेशक केवल उन मामलों में विदेशों से मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान करते हैं, जहां भारतीय मरम्मत यार्डों में ड्राई डाकिंग के लिए अपेक्षित स्लाट्स उपलब्ध नहीं होते।

(ख) से (घ) जहाज मरम्मत कार्य के स्वरूप और सीमा के कारण जहाजों की मरम्मत पर होने वाले वार्षिक खर्च का अनुमान सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन कंपनियों द्वारा विदेशों से कराई गई मरम्मत/ड्राई डाकिंग और इन जहाजों के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद पर विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च निम्नलिखित है :–

वर्ष	किया गया खर्च
	(करोड़ रु०)
1988–89	102.65
1989–90	114.05
1990–91	147.45

भारत में जहाज मरम्मत सुविधाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा उनके तकनीकी परामर्श सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन में लगभग सात महीने लगेंगे, उसके 1.8.91 से शुरू किये जाने की संभावना है।

सरकार ने अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाओं के सृजन के लिए इस सेक्टर में निवेश हेतु निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जहाज मरम्मत उद्योग को कई रियायतें और प्रोत्साहन भी दिए हैं। मद्रास पत्तन में निजी सेक्टर में हाल ही में एक आधुनिक जहाज मरम्मत यूनिट स्थापित किया गया है जिसमें दो फ्लोटिंग ड्राई डाक्स हैं।

संचार व्यवस्था में सुधार

278. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः मास में संचार व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सुधार क्या-क्या हैं और कहां-कहां किए गए हैं;

(ग) क्या इन सुधारों की श्रृंखला में वर्तमान केबिल के स्थान पर आप्टीकल फाइबर केबिल भी लगाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में ये नए आप्टीकल फाइबर केबिल किन-किन स्थानों पर लगाए गए हैं और उनके लगाए जाने से इन क्षेत्रों के कितने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० रंगैय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय /और एसटीडी कालों की काल पूर्णता दर में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। ऐसे सुधार आमतौर पर सारे देश में हुए हैं।

(ग) जी नहीं। स्थानीय एक्सचेंज प्रणाली में एक्सचेंजों के बीच जंक्शन सर्किट और एसटीडी के लिए लंबी दूरी के सर्किट प्रदान करने के लिए आप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियां इस्तेमाल की जा रही हैं। ये परंपरागत तांबे की तारों के साथ ही जोड़ी जाती हैं।

(घ) आप्टिकल फाइबर रूट और अंतः एक्सचेंज जंक्शन कार्यप्रणाली के अधीन शामिल किये गए स्थानों के नाम विवरण में दिये गए हैं। क्योंकि एसटीडी कालें इन केबलों के जरिए दी जाती हैं इसलिए इन केबलों की संस्थापना द्वारा